

27-9-17

आज पणवली पेश हुई। वारी के  
अधिकारता उपर। प्रतिवाहीगण कि ओर  
अधिकारता उपर नहीं। संसेप से पुकारण  
यह है कि संयुक्त खातेदारी एवं कलजे  
काशर की आशजीपात खसरा नं० 19  
खसरा 0.58 है। वकी गण्ड झुण्डवा  
तह० उनियारा जिला जैक से स्थित  
है। जिस पर धारिगण संयुक्त रूप  
से कागिज काशर है।




उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा

FORM III  
फर्द अहकाम  
(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

कैसल बनाम मठबुलाल

किस्म मुकदमा.....नम्बर 75 सिन्...2017

हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
<p>आराजीपाह पर उत्पत्तीकरण का कोई लेना या समबन्ध नहीं है। उत्पत्तीकरण बडमाश प्रकृति के चर्कि है जो आपे इन लडाई झगडा करते हैं इससे की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।</p> <p>उत्पत्तीकरण लउ सुचना के अनुग क्रक-अक एक आवाज लगाई गई। इसके उपरान्त भी उत्पत्तीकरण अउग अहा उत्पत्तीकरण के विभदु एक फकीप कार्यवाही कि जाती है।</p> <p>एक फकीप बकस चुनी गई। पणपली एवं उस पर उपलब्ध इन्विजार् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृश्य प्रकरण प्रकी के पक्ष में प्रबल है। उत्पत्तीकरण को अस्वापी निषेधाज्ञा से पाबन्ड किया जाता है कि आराजी व्यापरा गण 19 सफला 0-38 ह० वकि गणम सुपवा तह० उणिपाय जिला येड में किसी प्रकार मजामुमेह व मडामसर नहीं करे, ना पाहल में लाधा जैसे, ना कब्जा करने का ही प्रयास करे, ना तो स्वयं कोरग जरिये एजेन्ट, नोकर, पारिवारिक या परिचित एपिबन्धो द्वारा ही करे। ता फेरसला वाड 4193 रहे। परपली केसल शुमार नोकर नम्बर से का को परपली अह वाड शामिल रहे।</p> <p style="text-align: right;">               उ० जज अधिकारी              उनियारा         </p>	